भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 253*

दिनांक 13.03.2018/22 फाल्गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए

सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाना

†*253. श्री ओम बिरलाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में पुलिस थानों तथा पुलिस सिविलियन के मिलने के संभावित स्थलों के संवेदनशील क्षेत्रों में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने का निर्णय लिया है जिससे भ्रष्ट आचरणों पर रोक लग सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक स्थानों के आस-पास सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने के लिए सरकार द्वारा आवंटित की गई और उपयोग में लाई गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार सार्वजनिक स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने के लिए राज्यों को सहायता दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 13.03.2018 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 253 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने अपने स्व-प्रस्ताव बनाम भारत संघ एवं अन्य से संबंधित न्यायालयी मामले में रिट याचिका (सिविल) सं. 7927/2012 में दिल्ली के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निदेश दिया था। दिल्ली पुलिस ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने की कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, 10 पुलिस थानों में प्रत्येक में 10 सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं तथा शेष पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा प्रणाली लगाने के लिए खुली निविदा जारी की गयी है।

(घ): सीसीटीवी कैमरा लगाना दिल्ली पुलिस के मशीनरी एवं एक्विपमेंट (एम एवं ई) व्यय शीर्ष के अंतर्गत अनुज्ञेय गतिविधियों में से एक कार्य है। दिल्ली पुलिस ने 10 पुलिस थानों में वर्ष 2017-18 के दौरान सीसीटीवी लगाने पर 43,94,441/-रूपए खर्च होने की सूचना दी है।

(ड.): गृह मंत्रालय, 'पुलिस आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता' योजना के अंतर्गत सीसीटीवी निगरानी प्रणाली/कैमरा सहित पुलिस अवसंरचना के आधुनिकीकरण हेतु राज्य सरकारों को निधियां जारी करता है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारें अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार आवंटित धनराशि के प्रयोग हेतु राज्य कार्य योजना (एस.ए.पी.) तैयार करती हैं तथा वे इसमें सीसीटीवी निगरानी प्रणाली/कैमरे भी शामिल कर सकती हैं। तथापि, इस योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा सीसीटीवी कैमरों की खरीद से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत, अहमदाबाद, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता तथा बेंगलुरू की महानगर पुलिस व्यवस्था के लिए भी केन्द्रीय सहायता दी जा रही है जिसमें कमाण्ड कंट्रोल सेंटर (सीसीसी) तथा सीसीटीवी निगरानी के घटक तकनीकी संघटकों के अंतर्गत आते हैं।